




क्रमांक प. 14(1)(68)/निमअ/सामूवि/2020/20899

जयपुर, दिनांक 12.7.2021

आदेश

मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक डी.77/मं. मं./ 2021 जयपुर, दिनांक 25.06.2021 के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम 2018 दिनांक 11 जून 2018 की अधिसूचना का तुरंत प्रभाव से एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।


(श्रेया गुहा)


प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक प. 14(1)(68)/निमअ/सामूवि/2020/20960-21017

जयपुर, दिनांक 12.7.2021

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता।
9. निजी सचिव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
14. निदेशालय महिला अधिकारिता के सभी प्रभारी अधिकारी।
15. उप निदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, समस्त।
16. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


आयुक्त
महिला अधिकारिता